



2026:AHC-LKO:9235-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी सं. - 12332/ 2025

टीकाराम मिश्रा और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ
के माध्यम से एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नृपेंद्र मिश्राप्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी विरोधी पक्षगण को सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की मांग की है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें विरोधी पक्ष सं. 3 को डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश के दिनांक 11.03.2023 के परिपत्र का पालन करने का आदेश दिया जाए और साथ ही विरोधी पक्ष सं. 2 को दिनांक 11.03.2023 के परिपत्र का पालन न करने के लिए विरोधी पक्ष सं. 3 के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) विरोधी पक्ष सं. 2 को दिनांक 28.11.2025 के आवेदन पर निर्धारित अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश दिया जाए और न्याय के हित में विरोधी पक्ष सं. 2 को विरोधी पक्ष सं. 3 के विरुद्ध विरोधी पक्ष सं. 4 से 8 की विधि के विरुद्ध सहायता करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया जाए।"

4. स्थायी अधिवक्ता को प्राप्त निर्देशों के अनुसार, सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, बहराइच द्वारा वाद स. 1032/2024 में यथास्थिति आदेश पारित किया है और क्योंकि याचिकाकर्ता पर यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने का प्रयास करने का आरोप है, इसलिए, पुलिस इसे बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करती है।

5. हमारा मत है कि ज़िला प्राधिकारियों जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, वे तभी दखल दे सकते हैं जब कोई कानून-व्यवस्था की समस्या हो, शांति भंग होने की आशंका हो, कोई अपराध होने की आशंका हो या वह अपराध वास्तव में हो चुका हो या न्यायालय का कोई आदेश हो जो किसी भी पक्ष को संबंधित भूमि पर कब्ज़ा करने या उसका उपयोग करने से रोकता हो या किसी विधि/संविधि में उनके हस्तक्षेप के लिए अन्य वैध आधार हो, अन्यथा नहीं।

6. यदि निजी पक्षकारों को वाद वाली संपत्ति के संबंध में एक-दूसरे के विरुद्ध कोई शिकायत है, तो वे संबंधित न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहाँ कार्यवाही लंबित है।

7. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, याचिका **निस्तारित** की जाती है।

8. हमारे आदेश का अर्थ यह नहीं निकाला जाएगा कि हम किसी भी निजी विरोधी पक्षगण क किसी भी कार्यवाही की पुष्टि या अस्वीकृति करते हैं, क्योंकि हमने केवल ऐसे विवादों में पुलिस की भूमिका को परिभाषित किया है।

9. यदि याचिकाकर्ता अभी भी पीड़ित है, तो वह उस न्यायालय में जा सकता है जहाँ वाद लंबित है, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी, जहाँ तक विधि के अंतर्गत अनुमति है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

2 फरवरी, 2026

प्रवीण